

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक 5-13/2022/29-2, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.01.2023

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र में से निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण श्री कांति लाल साहू का दावा आपत्ति के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर प्रकरण क्रमांक 8661/2022 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2023 के परिपेक्ष्य में श्री कांति लाल साहू, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद की हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाता है तथा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की वेबसाइट <http://www.cgscdrc.cg.nic.in> तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट <https://khadya.cg.nic.in> पर अपलोड किया गया है। उक्त संबंध में दावा आपत्ति रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पंडरी रायपुर को दिनांक 25 जनवरी 2023, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अमितोष जॉन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

श्री क्रांति लाल साहू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये पर दावा आपत्ति दिनांक 25.01.2023 कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है ।

आवेदन का नाम	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने के कारण
श्री क्रांतिलाल साहू	1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण । 2. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होने के कारण । 3. आवेदक अध्यक्ष पद हेतु आवश्यक अर्हता नहीं होने के कारण । अपात्र



(अमितोष जॉन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग